रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274464
CG-DL-E-14072026-274464

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3679]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948
No. 3679]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3841(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से,ओडिशा राज्य के संबलपुर और अंगुल जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 153 (बी) पर कि. मी. 96/400 पर स्थानीय नाले के ऊपर और कि. मी. 105/550 पर गडगडी नदी के ऊपर प्रस्तावित एच. एल. पुल का निर्माण, तथा कि. मी. 91/720 से कि. मी. 91/920 तक सड़क को चौड़ा और मज़बूत करने हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 153 (बी) पर कि. मी. 96/400 पर स्थानीय नाले के ऊपर और कि. मी. 105/550 पर गडगडी नदी के ऊपर प्रस्तावित एच. एल. पुल का निर्माण, तथा कि. मी. 91/720 से कि. मी. 91/920 तक सड़क को चौड़ा और मज़बूत करने के लिए भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	तहसीलदार, रैराखोल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उड़ीसा	सम्बलपुर	रेढ़ाखोल	1 केंदुकता

		NH153B के कि.मी 91.72 से कि.मी 105.48 तक				2	केलाकटा
						3	लइंडामाल
						4	हातीबाहल
						5	कंधरा
2	तहसीलदार, आठमल्लिक	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH153B के कि.मी 105.8 से कि.मी 106.06 तक	उड़ीसा	अनगुल	आठमल्लिक	1	टासराबेडा

[फा. सं. Ro/BBSR/11017/LA/97/2016]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2026

S.O. 3841(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of Proposed HL Bridge over Local Nallah at Ch 96/400 Km, over Gadgadi River at Ch. 105/550 Km and Widening & Strengthening from Ch 91/720 to 91/920 Km on NH-153 (B) in the State of Odisha.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH153B for construction of Proposed HL Bridge over Local Nallah at Ch 96/400 Km, over Gadgadi River at Ch. 105/550 Km and Widening & Strengthening from Ch 91/720 to 91/920 in the State of Odisha.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	Tahsildar, Rairakhol	NH153B KM 91.72 TO KM 105.48	ODISHA	SAMBALPUR	Redhakhol	1	Kendukata
						2	Kelakata
						3	Laindamal
						4	Hatibahal
						5	Kandhara
2	Tahasildar, Athamallik	NH153B KM 105.8 TO KM 106.06	ODISHA	Angul	Athamallik	1	Tasarabeda

[F. No. Ro/BBSR/11017/LA/97/2016]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.14 14:45:33 +05'30'